भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 407
(22 जुलाई, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

दमन और दीव में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत लाभार्थियों

407. श्री पटेल उमेषभाई बाबूभाई:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले दस वर्षों में दमन और दीव में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंर्तगत स्वीकृत मकानों का ब्यौरा और उनकी संख्या क्या है तथा वर्षवार कितने मकानों का निर्माण किया गया है;

(ख) क्या निर्मित मकान सभी लाभार्थियों को सौंप दिए गए हैं और सभी लाभार्थियों को क्या लाभ दिए जा रहे हैं;

(ग) यदि हां तो लाभार्थियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) प्रत्येक मकान के निर्माण में शामिल लागत और उस पर खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) मकानों के निर्माण के दौरान किस शीर्ष के अंर्तगत धनराशि खर्च की गई?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. चंद्र शेखर पेम्मासानी)

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में "सभी के लिए आवास" के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए , ग्रामीण विकास मंत्रालय दिनांक 1 अप्रैल 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) का कार्यान्वयन कर रहा है ताकि मार्च 2029 तक 4.95 करोड़ पात्र ग्रामीण परिवारों को बुनियादी

सुविधाएं के साथ सहायता प्रदान की जा सके। दिनांक 17.07.2025 तक, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 4.12 करोड़ मकानों का संचयी लक्ष्य आवंटित किया गया है , जिसमें से 3.84 करोड़ मकानों को मंजूरी दी गई है और 2.80 करोड़ मकानों का निर्माण पूरा हो गया है।

पिछले दस वर्षों में पीएमएवाई-जी के तहत संघ राज्य क्षेत्र दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव में स्वीकृत और निर्मित मकानों का वर्षवार विवरण इस प्रकार है:

[इकाई संख्या में]

वित्तीय वर्ष	स्वीकृत मकान	निर्मित मकान
2016-17	286	0
2017-18	744	7
2018-19	4,394	203
2019-20	0	221
2020-21	0	972
2021-22	1,010	641
2022-23	0	1,486
2023-24	4,526	359
2024-25	0	1,076

(ख) और (ग) पीएमएवाई-जी एक लाभार्थी-संचालित योजना है , जिसमें लाभार्थी द्वारा स्वयं या उसकी देखरेख में मकान का निर्माण किया जाता है।

(घ) यह योजना दमन और दीव में 1.20 लाख रुपये की इकाई वित्तीय सहायता प्रदान करती है। स्वच्छ भारत मिशन - ग्रामीण (एसबीएम-जी) , महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा योजना) या वित्त पोषण के अन्य समर्पित स्रोत के साथ अभिसरण के माध्यम से शौचालय निर्माण के लिए 12,000 रुपये की अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाती है। दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र लाभार्थियों को 1.20 लाख रुपये का टॉप-अप प्रदान करता है। मंत्रालय द्वारा आज की दिनांक तक संघ राज्य क्षेत्र दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव को 88.30 करोड़ रुपये का केंद्रीय अंश जारी किया जा चुका है।

(ड़) पीएमएवाई-जी के अंतर्गत, मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एक इकाई मानते हुए , सीधे केंद्रीय अंश की निधि जारी करता है। इसके अलावा , लाभार्थियों को सहायता की किश्तों के रूप में निधि का वितरण राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किया जाता है।

इस योजना के अंतर्गत, लाभार्थियों को सहायता राशि, आधार आधारित भुगतान प्रणाली/प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से सीधे उनके बैंक खाते/डाकघर खाते में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा निर्माण से जुड़ी किश्तों में प्रदान की जाती है।

*****